न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 126/2022 तारीख रजू :– 07.10.2022

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना (आर.ए.एस.)

भरतलाल पुत्र मथुरया जाति मीना निवासी नागल मांडल तह. टोडाभीम जिला करौली

सायल

बनाम

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग पी0 डब्लू0 डी0 टोडाभीम, जिला करौली राज0
3. कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग पी0 डब्लू0 डी0 टोडाभीम, जिला करौली राज0

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 08-07-2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 688 रकवा 0.34 है0, 689 रकवा 0.42 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.76 है0 ग्राम नांगल माडल तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है जो सायल व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त खसरा नम्बर भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौराने भू प्रबन्ध साबिक ख0नं0 442 रकवा 03 बीघा 01 विस्वा से बना कर अंकित किया जो वादी एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी नाम दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 442 के उत्तरी दिशा की ओर साबिक खसरा नम्बर 338 रकवा 7 बीघा 8 विस्वा गैरमुमकिन रास्ता भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौराने भू प्रबन्ध नवीन खसरा नम्बर 648/ 0.07 , 640/0.13 , 639/0.01 , 855/0.02, 856/... 4, 1.../0.05, 1221/0.04, 1227/0.35, 1341/0.14, 686/1.02 कायम किये है। साबिक ख0नं0 ... के उत्तरी तरफ रास्ते की चौडाई अधिक थी दिशा की दौराने भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा नवीन रिकोर्ड बनाते समय साबिक ख0नं0 442 रकवा 03 बीघा 01 विस्वा का रकवा तो पूरा करते हुये मौजूदा अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

कर दिया है। ख0नं0 688/0.34, 689/0.42 बना दिये लेकिन नवीन सीट में ख0नं0 688, 689 के उत्तर की तरफ के रास्ते को साबिक ख0नं0 442 के भाग में ही दर्शा दिया है इस प्रकार मौजूदा सीट गलत बनाई है। साबिक सीट के मुताबिक नवीन सीट कायम नहीं हुई है जो बमुकावले सायल शून्य व निंप्रभावी है। इसलिये सायल मौजूदा सीट को साबिक सीट के मुताबिक (तरमीम कराने) दुरूस्त कराने का हकदार है।

सालय की भू प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौराने भू प्रबंध साविक ख0नं0 442 मिन से रकवा 3 बीघा 1 विस्वा से रिकार्ड में रकबा तो पूरा अंकित कर दिया है लेकिन नवीन सीट को साबिक सीट के अनुसार कायम नहीं करके अंकित कर दी है। इस प्रकार साबिक सीट के मुताबिक नवीन सीट कायम नहीं हुई है। जो बमुकावले वादीगण शून्य प्रभावी है। इसलिये सायल मौजूदा सीट को साबिक सीट के मुताबिक (तरमीम कराने) दुरूस्त कराने के हकदार है। भू प्रबंध विभाग को नवीन सीट में रकवा कम करने का कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। पटवारी हल्का से उक्त गलती का पता चलने पर समस्त साबिक रिकार्ड ट्रेस लेने पर मिलान देखने पर उक्त भूमि का ट्रेस गलत होने का पता चला, इस पर सालय दिनांक 15.09.2022 को प्रतिवादी नं0 1 से मिला तथा साबिक सीट के मुताबिक नवीन सीट में दुरूस्ती करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ इंकार कर दिया कहा कि हम रिकार्ड दुरूस्त नहीं करेगें सक्षम न्यायालय से आदेश कराओ। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर गैरसायल को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 688/0.34, 689/0.42 ग्राम नांगल माडल तहसील टोडाभीम में कोई निर्माण नहीं करे मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से वकील उपस्थित हुये, प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने जबाव प्रस्तुत किया कि वादी ने दावा अनावश्यक ही पेश किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग टोडाभीम द्वारा नवीन सडक कायम नहीं की गई है। पुरानी ग्रेवल सडक पर डामरीकरण किया गया है ... आम रास्ता में ही सडक का निर्माण किया है। इसी भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय टोडाभीम ... वादी का वाद पत्र उनवानी भरतलाल बनाम सरकार पी.डब्लू.डी. विभाग आदि दिनांक 27.08.2022 को सही व वैध रूप से खारिज किया है। प्रतिवादी नं0 1 पैरोकार सरकार ने जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम नांगल मांडल के आराजी खसरा नम्बर 688 रकवा 0.34 है0, 689 रकवा 0.42 है0 भूमि दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:33 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

साबिक खसरा नम्बर 442 रकवा 3 बीघा 1 विस्वा भूमि का मुताबिक नवीन नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा ट्रेस का मिलान किया गया। वादपत्र में अवगत कराया गया है कि सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नम्बर 442 के उत्तर की तरफ रास्ते की चौडाई अधिक थी जिसको खसरा नम्बर 688 व 689 के उत्तर की तरफ रास्ते को दर्शा दिया गया है जबकि साबिक व नवीन नक्शा सीट का मिलान करने पर खसरा नम्बर 688 व 689 साबिक खसरा नम्बर 442 के अनुसार ही बनाये गये है। नवीन व साबिक नक्शा सीट में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई गई है। अतः ग्राम नांगल मांडल के साबिक खसरा नम्बर 442 रकवा 3 बीघा 1 विस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 688 रकवा 0.34 है0, 689 रकवा 0.42 है0 किता 2 कुल करवा 0.76 है0 साबिक अनुसार नवीन सही कायम किये गये है। नवीन सीट में दुरूस्ती का अंकन संभव नहीं है।

मैने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज, तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम नांगल माडल के साबिक खसरा नम्बर 442 रकवा 3 बीघा 1 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 688 रकवा 0.34 है0, 689 रकवा 0.42 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.76 है साबिक अनुसार नवीन सही कायम किये गये है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.25 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:33 IST
Reason: SelfAttested